

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-०६/निदे०-एस०सी०एस०टू टी०एस०पी-२६-०२/१७- 135

प्रपत्र,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

राधा में,

उप निदेशक,(मुख्यालय),
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 28.03.17

विषय:-वर्ष 2016-17 में केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA toTSP)के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्राप्त जनजाति आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत 2 (दो) 100 आसन वाले छात्रावास भवनों का निर्माण (1) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय,नीमा, कटिहार (2) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, वनमनखी, पूर्णियां, के परिसर में कराने की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कुल ₹ 500.00लाख में से विमुक्त राशि ₹490.58 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख अन्ठावन हजार ०0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-120 दिनांक-27.03.2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में केन्द्र-प्रायोजित योजना के तहत अनुसूचित जनजाति उप योजना के विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (SCA toTSP) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में प्राप्त जनजाति आवासीय विद्यालय के लिए स्वीकृत 2 (दो) 100 आसन वाले छात्रावास भवनों का निर्माण (1) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय,नीमा, कटिहार (2)राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्चविद्यालय, वनमनखी, पूर्णियां, के परिसर में कराने की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कुल ₹500.00 लाख में से विमुक्त राशि ₹490.58 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख अन्ठावन हजार ०0) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार स्वीकृत 2 (दो) 100 आसन वाले छात्रावास भवनों का निर्माण (1) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय,नीमा,कटिहार (2) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, वनमनखी, पूर्णियां,के परिसर में निर्माण कार्य कराने हेतु कुल ₹490.58 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख अन्ठावन हजार ०0) मात्र आवंटित किया जाता है।

2- अनुसूचित जनजाति के लिए भारत व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत मांग सं०-44 मुख्य बजट शीर्ष -2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्यशीर्ष-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-लघु शीर्ष- 102-आर्थिक विकास-उपशीर्ष-0102-अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता विपत्र कोड- पी2225021020102-विषय शीर्ष- 2701-लघु कार्य-राज्य योजना स्कीम कोड SST 5463-पी०एम०एफ०एस० कोड-TSP1के अन्तर्गत विकल्पनीय होगा।

3-इस राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक(मु०) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पी० एल० खाता-238 में स्थानान्तरित करेंगे। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा राशि व्यय के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेगे।

28/3/17

Signature

4- (1) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, नीमा, कटिहार (2) राजकीय अनुसूचित जनजाति बालक आवासीय उच्च विद्यालय, वनमनखी, पूर्णिया, के परिसर में छात्रावास के भवनों का निर्माण कार्य कराया जाएगा।

5- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक 17-4-1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

6- जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-11015/4(4)/2016 Grants दिनांक 22.02.2017 के आलोक में वर्ष 2016-17 में कुल ₹490.58 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख अन्ठावन हजार रु0) मात्र आवंटित किया जाता है। इस राशि का व्यय राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।


7- छात्रावास के भवनों का निर्माण स्थल प्रबंधन के अनुरूप मानक प्राक्कलन (Model estimate) के तहत किया जायेगा। भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-14993 दिनांक-7.11.2013 द्वारा प्रति 100 आसन वाले छात्रावास के लिए तकनीक अनुमोदित प्राक्कलन ₹379.00 (तीन करोड़ उन्नासी लाख) मात्र के आलोक में निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये नक्शा, प्राक्कलन तथा निर्धारित मापदण्ड एवं निर्धारित समय सीमा के अन्दर बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

8- इस योजना के लिये नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे समय-समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गई राशि की उपयोगिता की सूचना अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को माहवार उपलब्ध करायेंगे।

9- इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।


विश्वासभाजन


वीरेन्द्र कुमार
निदेशक।

ज्ञापांक-06/निदे0-एस0सी0एस0टू टी0एस0पी-26-02/17-135 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पुराना सचिवालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-06/निदे0-एस0सी0एस0टू टी0एस0पी-26-02/17-135 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, निगरानी विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक, कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

ज्ञापांक-06/निदे0-एस0सी0एस0टू टी0एस0पी-26-02/17-135 पटना, दिनांक-28.03.17
प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक।

